कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001
(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com दूरभाष – 07162-297009

क्र./पैरा.शाखा/सिम्स/7/2/2025/9398 छिंदवाड़ा दिनांक: 04.08.25

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु विज्ञापन
(विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु)

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा द्वारा संचालित विभिन्न पैरोमेडिकल पाठ्यक्रमों डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के प्रवेश हेतु राजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सकीय परिषद् के आदेश् क्र./एफ–1529/कॉलेज/A24G0056/1995/2025, भोपाल दिनांक 15/07/2025 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरांत पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ:–

आवेदन प्रारंभ की तिथि	05 अगस्त 2025
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	22 अगस्त 2025 को सांय 06:00 बजे तक
आवेदन पत्र प्रेषित एवं जमा करने का पता	छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा खजरी रोड छिन्दवाडा–480001

(क) आवेदन पत्र सीधे महाविद्यालय अथवा स्पीड पोस्ट एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से महाविद्यालय के पते पर प्रेषित किया जा सकते है।

(ख) व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय के आवक शाखा में आवेदन पत्र कार्य दिवस के दिन पूर्वांह 10:00 बजे से सायं 06 बजे तक जमा किये जायेंगे।

(ग) अंतिम तिथि के पश्चात जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(घ) **समस्त पाठ्यक्रम हेतु एक आवेदन पत्र मान्य होगा। अलग–अलग पाठ्यक्रम हेतु अलग–अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम विकल्प चुनने की सुविधा संलग्न आवेदन पत्र में प्रदान की गई है।**

2. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण:–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम अवधि	स्वीकृत सीट
1	बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन	डिग्री	03 वर्ष	50
2	डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन	डिप्लोमा	02 वर्ष	50
3	एक्स–रे (रेडियोग्राफर) टेक्नीशियन	डिप्लोमा	02 वर्ष	10

क्रमशः...02

4	पैरामेडिकल आप्थेल्मिक असिस्टेंट	डिप्लोमा	02 वर्ष	10
5	एनेस्थिसिया टेक्नीशियन	डिप्लोमा	02 वर्ष	05
6	आर्थो टेक्नीशियन	सर्टिफिकेट	01 वर्ष	10
7	ओ.टी टेक्नीशियन	सर्टिफिकेट	01 वर्ष	10

a) सीटों का आरक्षण/आवंटन मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगा।

b) प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 35 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी।

c) दिव्यांग प्रवर्ग–ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 05 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

d) शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

e) स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपुर्व सेनिकों (म.प्र.) हेतु 3 प्रतिशत का आरक्षण होगा।

f) प्रथम चक्र आवंटन उपरांत आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों को भरने हेतु निम्नानुसार चक्र का पालन किया जावेगाः–

(क) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा

(ख) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा

(ग) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(घ) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में उपर के चरणों में उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(ङ) ई. डब्ल्यू. एस. की खाली सीटों को अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

g) शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा शेष होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। शासकीय कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु पात्र होंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में मेरिट के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जावेगीः–

(क) सर्वप्रथम विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित सीटों को शासन नियमानुसार लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण का पालन करते हुए आवंटन किया जावेगा। विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित सीटों के सामेकित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्तियों को ओपन कोटा में उसी वर्ग/श्रेणी में समाहित किया जावेगा।

(ख) तत्पश्चात ओपन कोटा की सीटों पर शासन नियमानुसार लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण का पालन करते हुए आवंटन किया जावेगा।

क्रमशः....03

3. **पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक फीसः—**

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद, भोपाल का पत्र क्रमांक / F-26 / कॉलेज 2024—25 / 1701 / 2025 भोपाल दिनांक 26 / 06 / 2025 के पत्रानुसार।

पाठ्यक्रम हेतु शुल्क विवरण

शासकीय, स्वशासी एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थायें निम्नानुसार शिक्षण शुल्क प्राप्त कर सकेगीं ।

पैरामेडिकल पाठ्यकम के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क

(क)

स.क.	पाठ्यकम का नाम	शुल्क रुपये
1.	डिग्री (03 वर्ष)	85,940 / —
2.	डिप्लोमा (02 वर्ष)	55,270 / —
3.	प्रमाण पत्र (01 वर्ष)	39,910 / —

(ख)

स.क.	मदवार विवरण	अधिकतम शुल्क
1.	सुरक्षानिधि (वापसी योग्य)	5,000 / —
2.	खेलकूद, मनोरंजन शुल्क	1,000 / —
3.	आंतरिक मुल्यांकन शुल्क	1,000 / —
4.	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	1,000 / —
	कुल योग	8,000 / —

कुल शुल्क (क) +(ख) प्रथम वर्ष

स.क.	पाठ्यकम का नाम	शुल्क रुपये
1.	डिग्री (03 वर्ष)	93,940 / —
2.	डिप्लोमा (02 वर्ष)	63,270 / —
3.	प्रमाण पत्र (01 वर्ष)	47,910 / —

कुल शुल्क (क) +(ख) द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में

स.क.	पाठ्यकम का नाम	शुल्क रुपये
1.	डिग्री (03 वर्ष)	85,940 / —
2.	डिप्लोमा (02 वर्ष)	55,270 / —

महत्वपूर्णः— फीस संबंधी समस्त जांनकारी मध्यप्रदेश सह—चिकित्सकीय परिषद् की वेबसाइट www.mppmc.ac.inमें उपलब्ध है।

क्रमशः04

4. शैक्षणिक योग्यताः—

(क) राज्य अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित/अधिमान्य शिक्षा मंडल द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जावेगी

नोटः— ओपन स्कूल/संस्कृत बोर्ड/उर्दू बोर्ड/ राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं अन्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडलों से उत्तीर्ण छात्र तथा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण छात्रों की पृथक से मेरिट सूची बनायी जावेगी।

अर्हता न्यूनतम प्राप्तांक

अनारक्षित संवर्ग हेतुः	40 प्रतिशत
आरक्षित संवर्ग हेतुः	35 प्रतिशत

5. चयन प्रक्रियाः—

a) जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर 10+2 परीक्षा में (PCB) में प्राप्तांकों के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। यदि एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सामान है तो इस स्थिति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान फिर भौतिक शास्त्र के अंकों द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी यदि इस आधार पर भी आवेदकों की वरीयता का निर्णय नहीं हो पाता है तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

b) पाठ्यक्रम/विषय विकल्पः— अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दर्शाये गये क्रम में अपने विषय विकल्प की प्राथमिकता अंकित कर सकते हैं।

6. अन्य नियम एवं शर्तेः—

a) आवेदन शुल्कः— आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 500 तथा आरक्षित वर्ग (ST/SC/OBC/EWS) के अभ्यर्थियों को रूपये 300 UPI ID: deanmedicalcalchhindwara@sbi Marchant Name: CEODEAN GOVT AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE या संलग्न क्यू आर कोड के माध्यम से देय होगा, **ट्रांजेक्शन के स्कीनशॉट का प्रिंटआउट आवेदन के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क एवं ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट संलग्न किये बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

टीप :— विशेष रूप से संरक्षित जनजति **बैगा, भारिया, विकलांग अभ्यार्थियों** से शुल्क **नहीं** लिया जायेगा अर्थात आवेदन निःशुल्क है ।

b) आवेदक को सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है, में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा एवं अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगतिपूर्ण आवेदन प्रपत्र पूर्णतः अमान्य होंगे।

क्रमशः05

c) आवेदन की आयु 01 जुलाई 2025 को 17 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

d) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

e) आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

f) मेरिट सूची का प्रकाशन एवं काउंसलिंग संबंधी जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा एवं बेवसाइट **www.governmatemedicalcollegechhindwara.com** में अपलोड की जाएगी। **अभ्यर्थी को पृथक से ई–मेल, एस.एम.एस., टेलीफोन एवं रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा।**

g) आवेदक को काउंसलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को अगली मेरिट वाले छात्र/छात्रा को आवंटित कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

h) ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच व निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे।

i) एक बार काउंसलिंग के दौरान विषय चयन करने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

j) यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिये लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा समस्त जमा शुल्क राजसात कर लिया जावेगा एवं उस वर्ष की सम्पूर्ण फीस जमा न होने की स्थिति में मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे अर्थात उस वर्ष की सम्पूर्ण फीस जमा करने पर ही मूल दस्तावेज वापस दिये जावेंगे।

k) काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

l) प्रवेश के समय रूपये 5000/– सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के वापिस की जायेगी, साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

m) छात्र/छात्रा को समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं आईडी कार्ड हेतु शुल्क राशि 100 रूपये पृथक से देय होगा।

n) छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा के अंतर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

o) 03 वर्ष एवं 02 वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को तृतीय एवं द्वितीय अध्ययन वर्ष हेतु निर्धारित पूर्ण शुल्क महाविद्यालय की सूचना अनुसार लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है, विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

p) विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त मूल अभिलेखों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक सह–चिकित्सकीय प्रभाग में जमा किये जावेंगे तथा समस्त जमा किये जाने वाले अभिलेखों की अलग से 10–10 सेट छायाप्रतियां तथा स्कैन पीडीएफ फाइल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से

क्रमशः06

कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए किसी विद्यार्थी द्वारा चाही गयी तो उसके लिए विद्यार्थियों को आवेदन के साथ 100 रूपये प्रति छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा।

q) आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं जमा करना होगा।

r) मध्यप्रदेश के मूलनिवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।

s) प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

t) न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा होगा।

u) इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन करने के लिए संस्था के पास अधिकार है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा।

v) प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रकाशित मेरिट सूची में यदि कोई कम्प्यूटर एवं लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

संलग्नः— आवेदन का प्रारूप।

प्रभारी अधिकारी
मेडिकल शाखा सिम्स

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001
(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com दूरभाष – 07162-297009

(आवेदन पत्र पूर्ण स्पष्ट अक्षरों में भरना अनिवार्य है।)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 2024–25

1. आवेदक का नाम (हिन्दीं में) ....

2. लिंग (पु./म.)..

3. पिता/पति का नाम – ....

4. माता का नाम – ....

5. जन्म तिथि–........../........./..............(01 जूलाई 2025 को आयु) दिन.........माह.........वर्ष.....

6. आधार कार्ड नं.– ....

7. श्रेणी (अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्लु.एस.) –...

8. दिव्यांग(हां/नहीं)..यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. पत्र व्यवहार का पता – ....तहसील..............................

जिला..............................राज्य...............................पिनकोड........................

10. स्थायी पता –..तहसील............................

जिला..............................राज्य...............................पिनकोड........................

11. अभ्यार्थी का मोबाइल नं..................................ई–मेल आई.डी.– ....

12. अभिभावक का मोबाईल नं..................................ई–मेल आई.डी.–..

13. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है? ....(हां/नहीं) यदि नही तो राज्य का नामः........

14. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है?........ (हां/नहीं), यदि हां तो नियमित सेवा

अवधि का समयः............

क्रमशः02

नोटः— पाठ्यक्रम/कोर्स विकल्प के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना उसी क्रम के अनुसार सावधानीपूर्वक विकल्प का चयन करें। विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु पृथक—पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पाठ्यक्रम हेतु एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा।

15. पाठ्यक्रम विकल्पः—

स.क्र.	पाठ्यक्रम/कोर्स विषय का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

शैक्षणिक अर्हता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा विषय एवं प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक/पूर्णांक का योग (भौतिक वि. ,रसायन वि. ,जीवविज्ञान)	प्रतिशत
1.	12 वीं या समकक्ष			भौतिक— /100 रसायन— /100 जीव विज्ञान— /100	/300	

16. निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:–

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन (हां/नहीं/लागू नहीं)			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्क्रूटनी समिति द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1	आवेदन शुल्क–ऑनलाईन भुगतान के स्क्रीनशॉट की छायाप्रति				
2	10वी उत्तीर्ण अंकसूची				
3	12वी उत्तीर्ण अंकसूची				
4	मूल निवासी प्रमाण पत्र				
5	स्थानांतरण प्रमाण पत्र				
6	माईग्रेशन सर्टिफिकेट				
7	आधार कार्ड/पेन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।				
8	जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)।				
9	EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।				
10	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2025–26)				
11	विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।				
12	दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।				

//घोषणा पत्र//

मैं एतद् घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में क्र. 01 से 16 तक की समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। प्रवेश के समय, सत्यापन प्श्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य प्रमाणित होने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक –......................

स्थान–.........................

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

हस्ताक्षर स्क्रूटनी समिति

1.................................... 2.................................... 3....................................

हस्ताक्षर प्रवेश समितिः–

1 2 3 4.

SBI

Merchant Name : CEODEAN GOVT AUTONOMOUS M

UPI ID : deanmedicalchhindwara@sbi

BHIM
BHARAT INTERFACE FOR MONEY

UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

G20

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Scanned with OKEN Scanner